"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 नवम्बर 2017 — कार्तिक 24, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–42/2017/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 67 के खंड (धध) सहपठित धारा 433 की उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के खंड (ग) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 124 के खंड (ढढ) सहपठित धारा 355 की उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के खंड (पैंतीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, शहरी गरीबी उपशमन हेतु एक समुदाय आधारित ढांचा प्रदाय करने और उनके आनुषंगिक विषयों के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक (शहरी गरीबी उपशमन, समुदाय आधारित संगठनों का गठन और पंजीकरण) नियम, 2017 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है संदर्भानुसार, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) या दोनों;

   (ख) **"एरिया लेवल फेडरेशन" (एएलएफ)** से अभिप्रेत है क्षेत्र के आधार पर गठित तथा नियम 3 के अंतर्गत नगरपालिका से पंजीकृत स्व–सहायता समूहों का फेडरेशन;

   (ग) **"सिटी लेवल फेडरेशन" (सीएलएफ)** से अभिप्रेत है शहर के आधार पर गठित तथा नियम 3 के अंतर्गत नगरपालिका से पंजीकृत एरिया लेवल फेडरेशनों का फेडरेशन;

   (घ) **"निगम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) के अधीन गठित नगरपालिक निगम;

(ङ) **"शासन"** से अभिप्रेत है संदर्भानुसार, यथास्थिति, केन्द्र शासन या राज्य शासन;

(च) **"समूह"** से अभिप्रेत है संदर्भानुसार, स्व–सहायता समूह (एसएचजी), एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) या सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) या ये सभी;

(छ) **"स्थानीय क्षेत्र"** से अभिप्रेत है नगरपालिका का भौगोलिक क्षेत्राधिकार;

(ज) **"नगरपालिका अधिकारी"** से अभिप्रेत है निगम की स्थिति में आयुक्त तथा अन्य स्थानीय नगरीय निकायों (यूएलबी) की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी और इसमें शामिल है ऐसा अधिकारी, जिसे विशेष रूप से शहरी गरीबी उपशमन का प्रभार सौंपा गया है;

(झ) **"नगरपालिक"** से अभिप्रेत है संदर्भानुसार, कोई विशिष्ट नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत या संयुक्त रूप से ये सभी;

(ञ) **"नगरपालिका"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) के अधीन गठित नगरपालिका;

(ट) **"नगर पंचायत"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र 37 सन् 1961) के अधीन गठित नगर पंचायत;

(ठ) **"स्व–सहायता समूह"** ("एसएचजी") से अभिप्रेत है नियम 3 के अंतर्गत शहरी गरीबी उपशमन के व्यापक उद्देश्य हेतु गठित स्व–सहायता समूह;

(ड) **"स्थानीय नगरीय निकाय" (यूएलबी)** निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए सामान्य शब्द है;

(ढ) **"शहरी गरीबी उपशमन"** से अभिप्रेत है शासन के किसी भी कल्याणकारी योजना के अधीन गरीब के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्तियों तथा परिवारों के बीच ढांचागत कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों के माध्यम से गरीबी को कम करना;

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु जो परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा, जैसा कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र 23 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित है।

3. **समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) का पंजीकरण**.– (1) तीन स्तरों के सीबीओ होंगेः स्व–सहायता समूह, एरिया लेवल फेडरेशन तथा सिटी लेवल फेडरेशन।

(2) प्रत्येक नगरपालिका अधिकारी, इन नियमों के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्व–सहायता समूह, एरिया लेवल फेडरेशन तथा सिटी लेवल फेडरेशन के पंजीयन के लिए कार्य करेगा।

(3) यथास्थिति, तथा इन नियमों में यथा उपबंधित प्ररूप–1 (1) या प्ररूप–1 (2) या प्ररूप–1 (3) पर पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, नगरपालिका अधिकारी आवेदन में दिये गये कथनों के सही एवं सत्य होने के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा और तदुपरांत, सात दिनों से अनधिक समयावधि के भीतर समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) का पंजीयन करेगाः

परंतु यह कि आवेदन में कोई त्रुटि होने की स्थिति में, नगरपालिका अधिकारी त्रुटि सुधारने हेतु समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) की सहायता करेगा और तत्काल आवेदन को निरस्त नही करेगा।

(4) उप–नियम (3) के अधीन पंजीयन हो जाने पर, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) को, यथास्थिति, प्ररूप–2 (1) या प्ररूप–2 (2) या प्ररूप–2 (3) पर 'पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्रदान किया जायेगा।

(5) इस नियम के अधीन पंजीयन हो जाने पर समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) निम्नलिखित करने हेतु समर्थ होंगे, अर्थात्:–

(क) अपने समूह का नेता तथा अन्य पदाधिकारी का निर्वाचन;

(ख) शासन के किसी भी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अधीन अनुदान और सहायता प्राप्त करना;

(ग) किसी भी स्त्रोत से सहायता राशि (दान) प्राप्त करना;

(घ) शासन के शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना;

(ङ) बैंक में बचत खाता खोलना तथा उसका संचालन करना;

(च) समूह के सदस्यों से बचत राशि प्राप्त करना तथा समूह द्वारा यथा विनिश्चित शर्तों पर अन्तर–समूह ऋण उपलब्ध कराना;

(छ) दोषों को परिभाषित करना तथा दोषों के लिए सदस्यों पर शास्ति विहित एवं अधिरोपित करना;

(ज) बैंकों से ऋण लेना और ऋण प्राप्त करना;

(झ) ऐसी आय–वर्धक गतिविधियों में संलग्न होना, जिससे सीबीओ के सदस्यों को गरीबी से ऊपर उठाने में सहायता मिलती हो;

(ञ) अंगीकृत मापदंडों के अनुसार समूह के भीतर ऋण देना या लेना;

(ट) सदस्यों एवं उनके पड़ोसियों के व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य या आर्थिक महत्व के मुद्दों पर जागरूकता लाने हेतु लक्षित कार्यक्रमो में भाग लेना।

4. **स्व–सहायता समूह.**– (1) न्यूनतम दस तथा अधिकतम बीस गरीब परिवारों के ऐसे सदस्यों, जो सामान्यतः स्थानीय क्षेत्र के एक ही क्षेत्र (मोहल्ला) के भीतर रहते हों तथा जो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु स्व–सहायता माध्यम से लघु बचत और ऋण से जुड़ने के इच्छुक हो, से स्व–सहायता समूह (एसएचजी) का गठन किया जा सकेगाः

परंतु यह कि यदि स्व–सहायता समूह (एसएचजी) के पंजीकरण के पश्चात् किसी भी कारण से सदस्यों की संख्या दस से कम हो जाती हो, तो ऐसी स्व–सहायता समूह (एसएचजी) कार्य करती रहेगी और यथासंभव शीघ्र, नये एवं पात्र सदस्यों को शामिल करने का प्रयास करेगा, ताकि न्यूनतम संख्या बनी रहे।

(2) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, गैर–गरीब सदस्यों को भी स्व–सहायता समूह (एसएचजी) में शामिल किया जा सकेगा, यदि अत्यधिक घनिष्ठता या विशेष कारण विद्यमान होः

परंतु यह कि गैर–गरीबों की संख्या, स्व–सहायता समूह (एसएचजी) के कुल सदस्यों की तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) पंजीयन हेतु प्ररूप–1 (1) पर प्रत्येक स्व–सहायता समूह (एसएचजी) नगरपालिका अधिकारी को आवेदन करेगा।

(4) पंजीयन प्रक्रिया नियम 3 के अनुसार होगी तथा नगरपालिका अधिकारी स्व–सहायता समूह (एसएचजी) को प्ररूप–2 (1) पर 'पंजीयन प्रमाणपत्र' जारी करेगा।

(5) पंजीयन प्राप्त होने पर, स्व–सहायता समूह (एसएचजी) नियम 3 के उप–नियम (5) के अनुसार गतिविधियां करने के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:–

(क) ऐसे अंतराल पर और ऐसे स्थान पर बैठक करना, जैसा कि समूह द्वारा विनिश्चित किया जाये;

(ख) एक वर्ष के लिए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का निर्वाचन करनाः

परंतु यह कि पदाधिकारी पुनः निर्वाचन हेतु पात्र होंगे;

(ग) ऐसे अंतरालों पर, बचत राशि संग्रहित करना, जैसा कि समूह द्वारा नियत किया जाये;

(घ) ऐसी शर्तों पर नगद ऋण प्रदान करने तथा ऋण प्रदान करने हेतु सदस्यों से प्राप्त निवेदन पर विचार करना, जैसा कि समूह द्वारा नियत किया जाये ;

(ङ) समूह की बैठकों का उचित अभिलेख तथा लेखा का संधारण करना;

(च) प्रत्येक वर्ष मार्च माह के अंतिम दिन को आय–व्यय का विवरण तैयार करना और सदस्यों को देय लाभांश तय करना और भुगतान करना;

(छ) एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) का सदस्य बनना तथा एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) में समूह का प्रतिनिधित्व करने हेतु दो सदस्यों को नामांकित करना।

5. **एरिया लेवल फेडरेशन**.— (1) इन नियमों के अधीन पंजीकृत तथा क्षेत्र (मोहल्ला) के भीतर स्थापित प्रत्येक एसएचजी से दो प्रतिनिधियों सहित नगरपालिका अधिकारी द्वारा एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) का गठन किया जायेगा:

स्पष्टीकरण— इन नियमों के प्रयोजन हेतु 'क्षेत्र (मोहल्ला)' का वही अर्थ होगा, जैसा कि नगरपालिका अधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये।

(2) प्रत्येक एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) पंजीकरण हेतु प्ररूप–1 (2) पर नगरपालिका अधिकारी को आवेदन करेगा।

(3) पंजीयन प्रक्रिया नियम 3 के अनुसार होगी तथा नगरपालिका अधिकारी, एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) को प्ररूप–2 (2) पर 'पंजीयन प्रमाणपत्र' जारी करेगा।

(4) पंजीयन होने पर, एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) नियम 3 के उप–नियम (5) के अनुसार गतिविधियां करने के अतिरिक्त निम्नलिखित दायित्व का निर्वहन करेगा, अर्थात्:–

(क) बैंक से जुड़ने में सदस्य स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) की सहायता करना, जिसमें उनका खाता खोलना तथा उन्हें ऋण प्राप्त करने में सहायता करना शामिल है;

(ख) अपने सदस्यों से ऐसी सीमा तक तथा ऐसी परिस्थितियों के अध्यधीन बचत, जमा राशियों, ऋण या अन्य योगदान के रूप में निधि संग्रहित करना, जैसा कि स्व–सहायता समूहों की उप–विधियों के अधीन अनुमति दी जाये;

(ग) स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के आर्थिक उन्नयन के लिये अपने स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों के लिये बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, एनबीएफसी से निधि संग्रहित करना;

(घ) स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) से ऐसी शर्तों पर नकद ऋण प्रदान करने तथा ऋण प्रदान करने हेतु अनुरोध पर विचार करना जैसा कि एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) द्वारा उचित समझा जाये;

(ङ) स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के रेटिंग प्रकिया में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को समर्थन प्रदान करना;

(च) ऋण के माध्यम से अपने स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को समर्थन प्रदान करना;

(छ) सदस्य स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा ऋण प्रस्तावों के उन्नयन में हस्तलेख समर्थन प्रदान करना;

(ज) उनके सफलतापूर्वक संचालन हेतु नई स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ ही साथ विद्यमान एसएचजी के सदस्यों का क्षमता निर्माण करना;

(झ) शासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने में, सदस्य स्व–सहायता समूहों की सहायता करना तथा विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के अधीन सामाजिक सहायता लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना;

(ञ) नई स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन को समर्थन तथा अपने सदस्य स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के कार्यों की निगरानी एवं मूल्यांकन करना;

(ट) सदस्य स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बैंकों से क्रेडिट तक पहुंच के लिये उठाये गये मामलों का निराकरण करना;

(ठ) सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के स्तर पर महत्वपूर्ण मामलों को उठाना;

(ड) एसएचजी के कार्यों के बारे में स्थानीय नगरीय निकाय (यूएलबी) को नियमित रूप से सूचना देना;

(ढ) उपयुक्त आय–वर्धक गतिविधियों की पहचान करने में स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) को समर्थन प्रदान करना;

(ण) स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य सामाजिक योजनाओं में स्थानीय नगरीय निकायों (यूएलबी) को समर्थन प्रदान करना;

(त) अन्य विकास कार्यों/सिटी आजीविका केन्द्रों में, यदि अपेक्षित हो, स्थानीय नगरीय निकायों (यूएलबी) को सहायता प्रदान करना;

(थ) शहरी क्षेत्र के अधीन बेघर लोगों के लिये आश्रय स्थल का प्रबंध करना;

(द) स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के आजीविका उन्नयन के लिये नगरपालिका से संबंधित परियोजना अथवा शासकीय परियोजना में सहयोग प्रदान करना।

(5) प्रत्येक एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ), उप-विधियां अंगीकृत करेगा, जो नगरपालिका अधिकारी द्वारा यथा प्रदत्त आदर्श उप-विधियों के अनुरूप होगा। इन उप-विधियों में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित मामले शामिल होंगे, अर्थात् :-

(क) नियमित बैठकों का समय, अंतराल और स्थान;

(ख) प्रबंधन समिति का गठन तथा प्रबंधन समिति में सदस्यों का निर्वाचन/सहयोजन;

(ग) सदस्य स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिये सदस्यता शुल्क तथा वार्षिक अंशदान का प्रतिष्ठापन;

(घ) बैठकों के अभिलेख तथा समूह के लेखे, जो कि संधारित की जायेगी;

(ङ) सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) की सदस्यता तथा सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) में समूह का प्रतिनिधित्व करने हेतु दो सदस्यों का नामांकन।

6. **सिटी लेवल फेडरेशन.**- (1) इन नियमों के अधीन पंजीकृत तथा प्रत्येक क्षेत्र (मोहल्ला) के भीतर स्थापित एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, नगरपालिका अधिकारी द्वारा सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) का गठन किया जायेगाः

परंतु यह कि यदि नगरपालिका अधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह स्थानीय क्षेत्र में एक से अधिक सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) गठित कर सकेगाः

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिये 'क्षेत्र (मोहल्ला)' का वही अर्थ होगा, जैसा कि नगरपालिका अधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये।

(2) प्रत्येक सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) पंजीयन हेतु प्ररूप-1 (3) पर संघ के रूप में पंजीयन के लिये नगरपालिका अधिकारी को आवेदन करेगा।

(3) पंजीयन प्रक्रिया नियम 3 के अनुसार होगी तथा नगरपालिका अधिकारी, सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) को प्ररूप-2 (3) पर 'पंजीयन प्रमाणपत्र' जारी करेगा।

(4) पंजीयन होने पर, सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) नियम 3 के उप-नियम (5) के अनुसार गतिविधियां करने के अतिरिक्त निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करेगा, अर्थातः-

(क) शहरी गरीबों के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु सदस्य एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) तथा सदस्य स्व-सहायता समूहों (एसएचजी); नगरीय प्रशासन और वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना;

(ख) अपने स्व-सहायता समूहों (एसंएचजी) तथा एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) के लिए बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, एनबीएफसी से निधि संग्रहित करना;

(ग) आय-वर्धक गतिविधियों के लिए ऋण के माध्यम से अपने स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) तथा एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) को समर्थन प्रदान करना;

(घ) विभिन्नों स्तरों पर शहरी गरीबों की आवश्यकताओं को अभ्यावेदित करना;

(ङ) स्थानीय नगरीय निकायों (यूएलबी) तथा राज्य शासन के साथ गरीबों के हितार्थ नियोजन, मास्टर प्लान, वेंडर नियोजन आदि के लिए पक्ष समर्थन करना;

(च) सदस्य एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) तथा सदस्य स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए बैकिंग सेवाओं हेतु पंहुच को सरल बनाना;

(छ) नई समूहों का गठन और उनको समर्थन करना;

(ज) अपने सदस्य एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) के विशिष्ट प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं की पहचान करना;

(झ) विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के लिए हितग्रहियों की पहचान सरल बनाने हेतु संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय (यूएलबी) के साथ निकटस्थ कार्य करना;

(ञ) स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पाद/उत्पादों के विपणन को सरल बनाना तथा सिटी आजीविका केन्द्रों का प्रबंधन करना;

(ट) अपने सदस्यों के आजीविका उन्नयन के लिये नगरपालिका परियोजना अथवा शासकीय परियोजना का आरंभ करना।

(5) प्रत्येक सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) उप–विधियां अंगीकृत करेगा, जो नगरपालिका अधिकारी द्वारा यथा प्रदत्त आदर्श उप–विधियों के अनुरूप होगा। इन उप–विधियों में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, अर्थात्:–

(क) सामान्य बैठकों का समय, अंतराल और स्थान ;

(ख) प्रबंधन समिति का गठन और प्रबंधन समिति के सदस्यों का चुनाव/सहयोजन;

(ग) बैठकों के अभिलेख तथा सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के लेखे जो कि संधारित की जायेगी।

7. **विवादों का समाधान.**– (1) किसी भी विषय के संबंध में विवादों का समाधान, समूह के सदस्यों द्वारा परस्पर विचार विमर्श और अनुबंध के माध्यम से किया जायेगा।

(2) यदि समूह के सदस्य, विवाद का समाधान करने में असमर्थ हों, तो उसे अगली स्तर को निर्दिष्ट किया जायेगा, अर्थात् स्व–सहायता समूह का विवाद, एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) को निर्दिष्ट किया जायेगा; एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) का विवाद, सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) को निर्दिष्ट किया जायेगा तथा सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) का विवाद, नगरपालिका अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा। नगरपालिका अधिकारी का निर्णय, अंतिम और बंधनकारी होगा।

8. **स्व–सहायता समूह (एसएचजी) का विघटन.**– (1) निम्नलिखित किन्हीं भी शर्तों के अध्यधीन स्व–सहायता समूह (एसएचजी) का विघटन किया जायेगा, अर्थातः–

(क) स्व–सहायता समूह (एसएचजी) को विघटित करने हेतु सदस्य, संकल्प पारित करते हैं; या

(ख) एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) की शिकायत पर नगरपालिका अधिकारी स्व–सहायता समूह (एसएचजी) के विघटन का आदेश करते हैः

परंतु यह कि स्व–सहायता समूह (एसएचजी) के विघटन हेतु आदेश करने के पूर्व नगरपालिका अधिकारी, मामले का समाधान करने हेतु ऐसा प्रत्येक प्रयास करेगा जिससे विघटन करने से यथा संभव बचा जाये।

(2) स्व–सहायता समूह (एसएचजी) का विघटन होने पर, अग्रतर कार्यवाही निम्नानुसार होगीः–

(क) नगरपालिका अधिकारी, एसएचजी की आस्तियों को जप्त करेगा और बैंक को खाता के संचालन को स्थगित करने हेतु संसूचित करेगा;

(ख) नगरपालिका अधिकारी, आस्तियां और देनदारियों का विवरण (सूची) तैयार करेगा;

(ग) देनदारियों के भुगतान हेतु आस्तियों का उपयोग, निम्नालिखित प्राथमिकता क्रम में नगरपालिका अधिकारी द्वारा किया जायेगाः–

(एक) बैंक के बकाया का भुगतान किया जायेगा;

(दो) लेनदारों को प्रदाय, यदि कोई हो, के लिए उनके बकाया का भुगतान किया जायेगा;

(एक) एएलएफ के बकाया का भुगतान;

(एक) एसएचजी के सदस्यों के शेष बकाये, यदि कोई हो, में आढ़त (फैक्टोरिंग) के पश्चात, सदस्यों के बीच अतिशेष, यदि कोई हो, बराबर वितरण किया जायेगा।

9. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों अंतविष्ट किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में संशय उद्भूत होता है, तो इसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय, अंतिम और बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

प्ररूप 1(1)
नियम 4(3) देखिये

स्व–सहायता समूह (एसएचजी) का पंजीयन हेतु आवेदन

प्रति,

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
(स्थानीय नगरीय निकाय का नाम)

विषय :– स्व–सहायता समूह (एसएचजी) का पंजीयन हेतु आवेदन।

महोदय,

हम अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक (शहरी गरीबी उपशमन, समुदाय आधारित संगठनों का गठन और पंजीकरण) नियम, 2017 के अंतर्गत स्व–सहायता समूह का गठन करने का संकल्प लिया गया है। हम आपसे अनुरोध करते है कि कृपया हमारे स्व–सहायता समूह का पंजीयन कर हमें पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने का कष्ट करें। हमारा विवरण निम्नानुसार है :–

(1)	स्व सहायता समूह (एसएचजी) का नाम	
(2)	मोहल्ले का नाम	
(3)	वार्ड का नाम तथा क्रमांक	
(4)	रूचि बैठक आयोजन की तिथि	
(5)	प्रारंभिक सदस्यों की संख्या	
(6)	हम वचन देते है कि : (1) हम एकजुट रहेंगे और स्व–सहायता तथा सहकारिता की भावना से अपनी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कार्य करेंगे। (2) हम सर्वसम्मति से अपने पदाधिकारियों का चयन करेंगे। (3) हम विधि के सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे। (4) हम अपनी बैठकें शांति पूर्ण और नियमित रूप से करेंगे। (5) हम (क) सदस्यों (ख) बैठकों तथा (ग) लेखा से संबंधित दस्तावेजों का संधारण नियमानुसार या/तथा आपके निर्देशानुसार करेंगे। (6) हम 30 प्रतिशत से अधिक गैर बीपीएल सदस्यों को शामिल नहीं करेंगे। (7) आपके निर्देशानुसार हम एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) के सदस्य बनेंगे। (8) यदि हम अपने समूह को भंग करने का संकल्प लें तो हम तत्काल इसकी सूचना आपको देंगे और समस्त आस्तियां, चेक बुक, पासबुक आदि आपको सौंप देंगे।	

प्ररूप 1(2)
नियम 5(2)देखिये

एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) के पंजीयन हेतु आवेदन

प्रति,

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
(स्थानीय नगरीय निकाय का नाम)

विषय :– एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) के पंजीयन हेतु आवेदन।

महोदय,

हम एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक (शहरी गरीबी उपशमन, समुदाय आधारित संगठनों का गठन और पंजीकरण) नियम, 2017 के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते है। हम आपसे अनुरोध करते है कि कृपया हमारे एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) का पंजीयन कर हमें पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने का कष्ट करें। हमारा विवरण निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><td>(1)</td><td>एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) का नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>क्षेत्र का नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) क्षेत्र में शामिल वार्ड का नाम तथा वार्ड क्रमांक</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">(4)</td><td rowspan="3">एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) के पदाधिकारी</td><td>अध्यक्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>सचिव</td><td></td></tr>
<tr><td>कोषाध्यक्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>(5)</td><td>स्थापना बैठक की तिथि</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(6)</td><td>एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) में प्रारंभ में शामिल एसएचजी की संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="3">हम वचन देते है कि :
(1) हम एकजुट रहेंगे और स्व–सहायता तथा सहकारिता की भावना से अपनी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कार्य करेंगे।
(2) हम सर्वसम्मति से अपने पदाधिकारियों का चयन करेंगे।
(3) हम विधि के सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।
(4) हम अपनी बैठकें शांति पूर्ण और नियमित रूप से करेंगे।
(5) हम (क) सदस्यों (ख) बैठकों तथा (ग) लेखा से संबंधित दस्तावेजों का संधारण नियमानुसार या/तथा आपके निर्देशानुसार करेंगे।
(6) आपके निर्देशानुसार हम सिटी लेवल फेडरेशन का सदस्य बनेगें।</td></tr>
</table>

(8)	सदस्यों के नाम		
स. क्र.	एसएचजी का नाम तथा पता	सदस्य–1 का नाम	सदस्य–2 का नाम
	(हस्ताक्षर) कोषाध्यक्ष	(हस्ताक्षर) सचिव	(हस्ताक्षर) अध्यक्ष
	( )	( )	( )

प्ररूप 1(3)
नियम 6(2) देखिये

सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के पंजीयन हेतु आवेदन

प्रति,

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
(स्थानीय नगरीय निकाय का नाम)

विषय :– सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) का पंजीयन हेतु आवेदन।

महोदय,

हम एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक (शहरी गरीबी उपशमन, समुदाय आधारित संगठनों का गठन और पंजीकरण) नियम, 2017 के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते है। हम आपसे अनुरोध करते है कि कृपया हमारे सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) का पंजीयन कर हमें पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने का कष्ट करें। हमारा विवरण निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><td>(1)</td><td>सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) का नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>जोन/शहर का नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) क्षेत्र में शामिल वार्डो का नाम और क्रमांक (यदि सभी शहर शामिल हो तो लागू नही)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">(4)</td><td rowspan="3">सिटी लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के पदाधिकारी</td><td>अध्यक्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>सचिव</td><td></td></tr>
<tr><td>कोषाध्यक्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>(5)</td><td>स्थापना बैठक आयोजन की तिथि</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(6)</td><td>सिटी लेवल फेडरेशन में प्रारंभ में शामिल एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) की संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="3">हम वचन देते है कि :
(1) हम एकजुट रहेंगे और स्व–सहायता तथा सहकारिता की भावना से अपनी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कार्य करेंगे।
(2) हम सर्वसम्मति से अपने पदाधिकारियों का चयन करेंगे।
(3) हम विधि के सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।
(4) हम अपनी बैठकें शांति पूर्ण और नियमित रूप से करेंगे।
(5) हम (क) सदस्यों (ख) बैठकों तथा (ग) लेखा से संबंधित दस्तावेजों का संधारण नियमानुसार या/तथा आपके निर्देशानुसार करेंगे।</td></tr>
</table>

(8)	सदस्यों के नाम		
स. क्र.	एएलएफ का नाम तथा पता	सदस्य–1 का नाम	सदस्य–2 का नाम
	(हस्ताक्षर) कोषाध्यक्ष	(हस्ताक्षर) सचिव	(हस्ताक्षर) अध्यक्ष
	( )	( )	( )

प्ररूप 2(1)

नियम 4(4) देखिये

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीयन क्र. एसएचजी/ दिनांक

(एसएचजी का नाम)

(एसएचजी का पता)

प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयन हेतु उनके आवेदन पर कार्यवाही करते हुए, उपरोक्त एसएचजी को छत्तीसगढ़ नगरपालिक (शहरी गरीबी उपशमन, समुदाय आधारित संगठनों का गठन और पंजीकरण) नियम, 2017 के अंतर्गत स्व–सहायता समूह के रूप में पंजीकृत किया गया है।

यह पंजीयन उपरोक्त नामित एसएचजी को नियम 3 के उप–नियम (5) तथा नियम 4 के उप–नियम (5) के अनुसार कृत्य करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :–

(1) शासन के किसी भी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान और सहायता प्राप्त करना;

(2) किसी भी स्त्रोत से सहयोग राशि (दान) प्राप्त करना;

(3) बैंक में बचत खाता खोलना तथा उसका संचालन करना;

(4) समूह के सदस्यों से बचत की राशि प्राप्त करना तथा सदस्यों को समूह द्वारा यथा निर्धारित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना;

(5) बैंकों से ऋण हेतु आवेदन करना और ऋण प्राप्त करना;

(6) ऐसी आय–वर्धक गतिविधियों में संलग्न होना जिससे सीबीओ के सदस्यों को गरीबी से ऊपर उठने में सहायता होती हो;

(7) निर्धारित मापदंडों के अनुसार समूह के अंदर ऋण प्राप्त करना या प्रदान करना।

....

(जारीकर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर व सील)

प्ररूप 2(2)

नियम 5(3)देखिये

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीयन क्र. एएलएफ / दिनांक

(एएलएफ का नाम)

(एएलएफ का पता)

प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयन हेतु उनके आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उपरोक्त एएलएफ को छत्तीसगढ़ नगरपालिक (शहरी गरीबी उपशमन, समुदाय आधारित संगठनों का गठन और पंजीकरण) नियम, 2017 के अंतर्गत एरिया लेवल फेडरेशन के रूप में पंजीकृत किया गया है।

यह पंजीयन उपरोक्त नामित एएलएफ को नियम 3 के उप–नियम (5) तथा नियम 5 के उप–नियम (4) के अनुसार कृत्य करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :–

(1) शासन के किसी भी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान और सहायता प्राप्त करना;

(2) किसी भी स्त्रोत से सहयोग राशि (दान) प्राप्त करना;

(3) बैंक में बचत खाता खोलना तथा उसका संचालन करना;

(4) समूह के सदस्यों से बचत की राशि प्राप्त करना तथा सदस्यों को समूह द्वारा यथा निर्धारित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना;

(5) बैंकों से ऋण हेतु आवेदन करना और ऋण प्राप्त करना;

(6) ऐसी आय–वर्धक गतिविधियों में संलग्न होना जिससे सीबीओ के सदस्यों को गरीबी से ऊपर उठने में सहायता होती हो;

(7) निर्धारित मापदंडों के अनुसार समूह के अंदर ऋण प्राप्त करना या प्रदान करना।

....

(जारीकर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर व सील)

प्ररूप 2(3)
नियम 6(3)देखिये

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीयन क्र. सीएलएफ / दिनांक

(सीएलएफ का नाम)

(सीएलएफ का पता)

प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयन हेतु उनके आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उपरोक्त सीएलएफ को छत्तीसगढ़ नगरपालिक (शहरी गरीबी उपशमन, समुदाय आधारित संगठनों का गठन और पंजीकरण) नियम, 2017 के अंतर्गत सिटी लेवल फेडरेशन के रूप में पंजीकृत किया गया है।

यह पंजीयन उपरोक्त नामित सीएलएफ को नियम 3 के उप–नियम (5) तथा नियम 6 के उप–नियम (4) के अनुसार कृत्य करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :–

(1) शासन के किसी भी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान और सहायता प्राप्त करना;

(2) किसी भी स्त्रोत से सहयोग राशि (दान) प्राप्त करना;

(3) बैंक में बचत खाता खोलना तथा उसका संचालन करना;

(4) समूह के सदस्यों से बचत की राशि प्राप्त करना तथा सदस्यों को समूह द्वारा यथा निर्धारित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना;

(5) बैंकों से ऋण हेतु आवेदन करना और ऋण प्राप्त करना;

(6) ऐसी आय–वर्धक गतिविधियों में संलग्न होना जिससे सीबीओ के सदस्यों को गरीबी से ऊपर उठने में सहायता होती हो;

(7) निर्धारित मापदंडों के अनुसार समूह के अंदर ऋण प्राप्त करना या प्रदान करना।

....

(जारीकर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर व सील)

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 5–42/2017/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5–42/2017/18, दिनांक 11–11–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Naya Raipur, the 13th November 2017

NOTIFICATION

NO. F 5-42/2017/18. — In exercise of the powers conferred by clause (ss) of Section 67 read with sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956); and clause (nn) of Section 124 read with sub-section (1) and clause (xxxv) of sub-section (2) of Section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following rules, for providing a community based structure for urban poverty alleviation and matters incidental thereto, namely:-

RULES

1. **Short name and commencement.**—(1) These rules may be called the Chhattisgarh Municipal (Urban Poverty Alleviation, Formation and Registration of Community Based Organizations) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means, according the context, the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) or the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961) or both;

(b) "**Area Level Federations**" **(ALF)** means the federation of Self-Help Groups based in a given area and registered with the Municipality in terms of rule 3;

(c) "**City Level Federation**" **(CLF)** means the federation of Area Level Federations, based in a given city and registered with the Municipality in terms of rule 3;

(d) "**Corporation**" means a Municipal Corporation constituted under the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956)

(e) "**Government**" means, according to the context, the Central Government or the State Government, as the case may be;

(f) "**Group**" means, according to the context, the Self-Help Group (SHG), Area Level Federation (ALF) or the City Level Federation (CLF), or all of these together;

(g) "**Local Area**" means the geographical jurisdiction of a Municipality;

(h) "**Municipal Officer**" means the Commissioner, in case of a Corporation and Chief Municipal Officer, in case of other Urban Local Bodies (ULBs), and includes any officer specifically assigned the charge of urban poverty alleviation;

(i) "**Municipality**" means, according to the context, a specific Municipal Corporation, Nagar Palika or Nagar Panchayat, or all of these collectively;

(j) "**Nagar Palika**" means a Municipality, constituted under the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961);

(k) "**Nagar Panchayat**" means a Nagar Panchayat constituted under the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961);

(l) "**Self Help Groups**" ("SHG") shall mean the Self-Help Groups formed for the broad objective of urban poverty alleviation in terms of rule 3;

(m) **"Urban Local Body" (ULB)** is a common term for Corporations, Nagar Palikas and Nagar Panchayats;

(n) "**Urban Poverty Alleviation**" means the reduction of poverty, through structured programs and interventions among persons and families recognized as poor, under any welfare program of the Government.

(2) Words and expressions used herein, but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961).

3. **Registration of Community Based Organizations (CBO).**—(1) There shall be three tiers of CBOs: Self-Help Group, Area Level Federation and City Level Federation.

(2) Every Municipal Officer shall cause for registration of every Self-Help Group, Area Level Federation and City Level Federation formed in terms of these rules.

(3) On receipt of an application for registration on Form-1(1), Form-1(2) or Form 1(3), as the case may be, and as provided for in these rules, the Municipal Officer shall satisfy himself regarding the correctness and truthness of statements made in the application, and shall thereafter, register the Community Based Organizations (CBO) within a period not exceeding seven days:

Provided that in case of any defect in the application, the Municipal Officer shall help the Community Based Organizations (CBO) to rectify the defect and shall not reject the application summarily.

(4) On registration under sub-rule (3), the Community Based Organizations (CBO) will be provided with a 'Certificate of Registration' on Form-2(1), Form-2(2) or Form-2(3), as the case may be.

(5) The registration under this rule shall enable a Community Based Organizations (CBO) to do the following, namely:-

(a) to elect their own leaders and office bearers in the group;

(b) to receive grants and benefits under any urban poverty alleviation program of the Government;

(c) to receive donations from any source;

(d) to receive trainings under poverty alleviation programs of the Government;

(e) to open savings accounts in the bank and to operate the same;

(f) to mobilize savings among members of the group and intra-group lending on terms as may be decided by the group;

(g) to define faults and to prescribe and impose penalties on members for faults;

(h) to seek and obtain loans from the banks;

(i) to undertake income-generating activities, that help the members of the CBO to emerge out of poverty;

(j) to lend and borrow within the group according to the norms adopted;

(k) to participate in activities aimed to generate awareness among the members and their neighbors on any issue of personal, social, healthcare or economic relevance.

4. **Self-Help Group.**—(1) An Self-Help Group (SHG) may be formed by a minimum of ten and maximum of twenty members from poor families, who normally reside within a common habitat in the local area, and who are keen to practice micro savings and lending in the self-help mode for improving their financial status:

Provided that, if after registration of an Self Help Group (SHG), the number of members falls below the level of ten for any reason whatsoever, the Self Help Group (SHG) shall continue to function and shall strive to induct new and eligible members, as soon as possible, so that the minimum number is maintained.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), non-poor members may also be included in the Self Help Group (SHG) if strong affinity or special reasons exists:

Provided that non-poor members shall not be more than thirty percent of the total members of the Self Help Group (SHG).

(3) Every Self Help Group (SHG) shall apply to the Municipal Officer for registration on Form-1(1).

(4) The registration process shall be according to Rule 3, and the Municipal Officer shall issue a 'Certificate of Registration' to the Self Help Group (SHG) on Form-2(1).

(5) On registration, the Self Help Group SHG shall undertake activities according to sub-rule (5) in rule 3, in addition to the following functions, namely:-

(a) to meet on such intervals and at such venue as may be decided by the group;

(b) to elect a President, Secretary and Treasurer for one year:

Provided that the office bearers shall be eligible for re-election;

(c) to mobilize savings in such amounts and at such intervals as may be fixed by the group;

(d) to consider requests from members for grant of hand-cash loans and to grant loans on such terms, as may be fixed by the group;

(e) to maintain proper records of meetings and accounts of the group;

(f) to prepare a statement of income and expenditure as on the last day of the month of March of every year and to declare and disburse dividends among the members;

(g) to become a member of the Area Level Federation (ALF) and to nominate two members, to represent the group at the Area Level Federation (ALF).

5. **Area Level Federation**.-(1) An Area Level Federation (ALF) shall be formed by the Municipal Officer including two representatives from each of the SHGs registered under these rules and established within the area:

Explanation- The 'area' for the purpose of this rule shall, as may be fixed by the Municipal Officer, from time to time.

(2) Every Area Level Federation (ALF) shall apply to the Municipal Officer for registration on Form-1(2).

(3) The registration process shall be, in accordance with rule 3, and the Municipal Officer shall issue a 'Certificate of Registration' to the Area Level Federation (ALF) on Form-2(2).

(4) On registration, theArea Level Federation (ALF) shall undertake activities according to sub-rule (5) in Rule 3, in addition to discharging the following responsibilities, namely:-

(a) facilitate bank linkages for member Self-Help Groups (SHGs) including opening of their accounts and helping them getting loans;

(b) mobilise funds in the shape of savings, deposits, loans are other contributions from its members to such extent and under such conditions as may be permissible under the by-laws of the Self-Help Groups;

(c) mobilise funds from Banks, Micro Finance Institutions, NBFC for its Self-Help Group (SHG) members, for economic improvement of Self-Help Groups (SHGs).

(d) consider requests from Self-Help Groups (SHGs) for grant of hand-cash loans and to grant loans on such terms as it may deemed fit by the Area Level Federation (ALF);

(e) support Urban Local Bodies (ULBs) in Rating of Self-Help Groups (SHGs);

(f) support its Self-Help Group (SHG) members by way of loan;

(g) provide hand-holding support in the development of loan proposals by member Self-Help Groups (SHGs);

(h) capacity building of new Self-Help Groups (SHGs) as well as existing member SHGs for their successful functioning;

(i) facilitate member Self-Help Groups' access to benefits under programs of the Government as well as access to social assistance benefits under various Government programs;

(j) support the formation of new Self-Help Groups (SHGs) and monitor and evaluate functioning of its member Self-Help Groups (SHGs);

(k) resolve issues raised by member Self-Help Groups (SHGs) in accessing credit from banks;

(l) raise issues of importance at the level of the City-Level Federations (CLFs);

(m) report regularly to the Urban Local Body (ULB) about the SHG's functioning;

(n) support Self-Help Groups (SHGs), in identifying suitable income-generating activities;

(o) support Urban Local Bodies (ULBs), in Swachh Bharat Mission and in other social schemes;

(p) assist Urban Local Bodies (ULBs), if required, in other development works / City Livelihood Centers;

(q) manage the Shelter for homeless people under Urban Area;

(r) undertake municipal project or Government project to improve the livelihood of Self-Help Group (SHG) members.

(5) Every Area Level Federation (ALF) shall adopt by-laws in conformity with model by-laws as may be supplied by the Municipal Officer. The by-laws shall include, among other points, the following matters, namely:-

(a) time, interval and venue of regular meetings;

(b) composition of the Management Committee and election/co-option ofmembers to the Management Committee;

(c) fixing of membership fee and annual subscription for member Self-Help Groups (SHGs);

(d) records of meetings and accounts of the group that shall be maintained;

(e) membership of the City Level Federation (CLF) and nomination of two members, to represent the group on the City Level Federation (CLF).

6. **City Level Federation.**— (1) A City Level Federation (CLF) shall be formed by the Municipal Officer including, representatives from each of the Area Level Federations (ALFs) registered under these rules and established within the area:

Provided that if the Municipal Officer considers it necessary, he may form more than one City Level Federation (CLF) in the local area.

Explanation- The 'area' for the purpose of this rule shall, as may be fixed by the Municipal Officer, from time to time.

(2) Every City Level Federation (CLF) shall apply to the Municipal Officer for registration on Form-1(3), for registration as an Association.

(3) The registration process shall be in accordance with rule 3, and the Municipal Officer shall issue a 'Certificate of Registration' to the City Level Federation (CLF) on Form-2(3).

(4) On registration, the City Level Federation (CLF) shall undertake activities according to sub-rule (5) in rule 3, in addition to discharging the following responsibilities, namely:-

(a) work with Area Level Federations (ALFs) and member Self-Help Groups (SHGs); city administration and financial institutions to ensure social and economic empowerment of the urban poor;

(b) mobilise funds from Banks, Micro Finance Institutions, NBFC for its Self-Help Groups (SHGs) and Area Level Federations (ALFs);

(c) support its Self-Help Groups (SHGs) and Area Level Federations (ALFs) by way of loan for economics activities;

(d) represent the needs of the urban poor at various levels;

(e) advocate for pro-poor planning, master plans, vendor planning, etc. with the Urban Local Bodies (ULBs) and State Governments;

(f) facilitate access of member Area Level Federations (ALFs) and member Self-Help Groups (SHGs) to banking services;

(g) form new groups and support them;

(h) identify specific training and capacity building needs of its member Area Level Federations (ALFs);

(i) work closely with the respective Urban Local Body(ULB) to facilitate identification of beneficiaries for various government programs;

(j) facilitate marketing of Self-Help Group (SHG) produce/products and manage City Livelihood Centers;

(k) may undertake municipal project or Government project to improve the livelihood of its members.

(5) Every City Level Federation (CLF) shall adopt by-laws in conformity with model by-laws as may be provided by the Municipal Officer. The by-laws shall include, among other points, the following matters, namely:-

(a) time, interval and venue of regular meetings;

(b) composition of the Management Committee and election/co-option of members to the Management Committee;

(c) records of meetings and accounts of the City Level Federation (CLF) shall be maintained.

7. **Dispute Resolution.**—(1) Dispute in respect of any matter shall be resolved by the members of the group through mutual discussion and agreement.

(2) If the members of the group are unable to resolve the dispute, it will be referred to the next level, that is, a dispute in Self-Help Group (SHG) shall be referred to the Area Level Federation (ALF), a dispute in Area Level Federation (ALF) shall be referred to the City Level Federation (CLF), and a dispute in City Level Federation (CLF) shall be referred to the Municipal Officer. The decision of the Municipal Officer shall be final and binding.

8. **Dissolution of a Self-Help Group (SHG).**-(1) A Self-Help Group (SHG) shall be dissolved under any of the following conditions, namely :-

(a) the members resolve to dissolve the Self-Help Group (SHG); or

(b) on a complaint of the Area Level Federation (ALF), the Municipal Officer orders the dissolution of the Self-Help Group (SHG):

Provided, that before ordering for dissolution of the Self-Help Group (SHG), the Municipal Officer shall make every effort to resolve the matter in a way that dissolution, if possible, may be avoided.

(2) On dissolution of a Self-Help Group (SHG), the following course of action shall follow:-

(a) the Municipal Officer shall seize the assets of the SHG and communicate to the bank to freeze the account;

(b) the Municipal Officer shall prepare an inventory of the assets and liabilities;

(c) the assets will be used by the Municipal Officer to discharge the liabilities in the following order of priority:

(i) bank's dues shall be paid;

(ii) creditors for supplies, if any, shall be paid their dues;

(iii) dues of the ALF shall be paid;

(iv) the balance, if any, shall be distributed equally among the members, after factoring in the outstanding dues, if any, of a member to the SHG.

9. **Interpretation.**—If a doubt arises regarding the interpretation of any provision contained in these Rules, the same shall be referred to the State Government whose decision shall be final and binding.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

FORM 1(1)
See rule 4(3)

APPLICATION FOR REGISTRATION OF A Self Help Group (SHG)

To,

The Commissioner / Chief Municipal Officer
(Name of the ULB)

SUBJECT: Application for Registration as a Self Help Group (SHG)

Dear Sir,

We, the undersigned, have resolved to form a Self Help Group under the Chhattisgarh Municipal (Urban Poverty Alleviation, Formation and Registration of Community Based Organizations) Rules, 2017. We request you to please register our SHG and to issue us a registration certificate. Our particulars are as follows :-

(1)	Name of the Self Help Group (SHG)	
(2)	Name of the Mohalla	
(3)	Name and number of the Ward	
(4)	Date of interest meeting held	
(5)	Number of initial members	
(6)	We promise that: (1) we shall remain united and work for our social and economic betterment in a spirit of self-help and cooperation. (2) we shall elect our office bearers unanimously. (3) we shall comply under with all requirements of the law. (4) we shall conduct our meetings peacefully and regularly. (5) we shall maintain all records of (a) Members (b) Meetings and (c) Accounts, as required under the rules and/or as may be advised by you. (6) we shall not induct more than 30% of non-BPL members. (7) we shall become a member of the Area Level Federations (ALF) as may be advised by you. (8) if we decide to dissolve our Self Help Group (SHG) we shall inform you forthwith and hand over to you all our assets, cheque book, pass book etc.	

FORM 1(2)
See rule 5(2)

APPLICATION FOR REGISTRATION OF AREA LEVEL FEDERATION (ALF)

To,

The Commissioner / Chief Municipal Officer
(Name of the ULB)

SUBJECT: Application for Registration as a Area Level Federation (ALF)

Dear Sir,

We hereby apply for grant of registration under the Chhattisgarh Municipal (Urban Poverty Alleviation, Formation and Registration of Community Based Organizations) Rules, 2017. We request you to please register our Area Level Federation (ALF) and to issue us a registration certificate. Our particulars are as follows :

<table>
<tr><td>(1)</td><td>Name of the Area Level Federation (ALF)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>Name of the Area</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>Name(s) and number(s) of the Ward(s) included in the Area Level Federation (ALF) Area</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">(4)</td><td rowspan="3">Office bearers of the Area Level Federation (ALF)</td><td>President</td><td></td></tr>
<tr><td>Secretary</td><td></td></tr>
<tr><td>Treasurer</td><td></td></tr>
<tr><td>(5)</td><td>Date of formation meeting held</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(6)</td><td>Number of initial SHGs included in the Area Level Federation (ALF)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="3">We promise that:
(1) we shall remain united and work for our social and economic betterment in a spirit of self-help and co-operation.
(2) we shall elect our office bearers unanimously.
(3) we shall comply under with all requirements of the law.
(4) we shall conduct our meetings peacefully and regularly.
(5) we shall maintain all records of (a) Members (b) Meetings and (c) Accounts, as required under the rules and/or as may be advised by you.
(6) we shall become a member of the City Level Federation as may be advised by you.</td></tr>
</table>

(8)	Names of the members		
Sl. No.	Name and address of the SHG	Name of Member-1	Name of Member-2
	(Signature)	(Signature)	(Signature)
	Treasurer	Secretary	President
	( )	( )	( )

FORM 1(3)

See rule 6(2)

APPLICATION FOR REGISTRATION OF CITY LEVEL FEDERATION (CLF)

To,

The Commissioner / Chief Municipal Officer

(Name of the ULB)

SUBJECT: Application for Registration as a City Level Federation (CLF)

Dear Sir,

We hereby apply for grant of registration under the Chhattisgarh Municipal (Urban Poverty Alleviation, Formation and Registration of Community Based Organizations) Rules, 2017. We request you to please register our City Level Federation (CLF) and to issue us a registration certificate. Our particulars are as follows :

(1)	Name of the City Level Federation		
(2)	Name of the Town / Zone		
(3)	Name(s) and number(s) of the Ward(s) included in the City Level Federation (CLF) Area (not applicable if entire town is included)		
(4)	Office bearers of the City Level Federation (CLF)	President	
		Secretary	
		Treasurer	
(5)	Date of formation meeting held		
(6)	Number of initial Area Level Federations (ALFs) included in the City Level Federation		
(7)	We promise that: (1) we shall remain united and work for our social and economic betterment in a spirit of self-help and cooperation. (2) we shall elect our office bearers unanimously. (3) we shall comply under with all requirements of the law. (4) we shall conduct our meetings peacefully and regularly. (5) we shall maintain all records of (a) Members (b) Meetings and (c) Accounts, as required under the rules and/or as may be advised by you.		

(8)	Names of the members		
Sl. No.	Name and address of the ALF	Name of Member-1	Name of Member-2
(Signature)		(Signature)	(Signature)
Treasurer		Secretary	President
( )		( )	( )

FORM 2(1)
See rule 4(4)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No.SHG/ Dated

(Name of the SHG)

(Address of the SHG)

This is to certify that in response to their application for registration, the above SHG has been registered as a Self Help Group under the Chhattisgarh Municipal (Urban Poverty Alleviation, Formation and Registration of Community Based Organizations) Rules, 2017.

This registration entitles the above-named SHG to act in accordance with sub-rule (5) of rule 3 and sub-rule (5) of rule 4 which includes the following:

(1) to receive grants and benefits under any urban poverty alleviation program of the Government;

(2) to receive donations from any source;

(3) to open savings accounts in the bank and to operate the same;

(4) to mobilize savings among members of the group and intra-group lending on terms as may be decided by the group;

(5) to seek and obtain loans from the banks;

(6) to undertake income-generating activities that help the members of the CBO to emerge out of poverty;

(7) to lend and borrow within the group according to the norms adopted.

(Signature and Seal of the issuing authority)

FORM 2(2)
See rule 5(4)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No.ALF/ Dated

(Name of the ALF)

(Address of the ALF)

This is to certify that in response to their application for registration, the above ALF has been registered as an Area Level Federation under the Chhattisgarh Municipal (Urban Poverty Alleviation, Formation and Registration of Community Based Organizations) Rules, 2017.

This registration entitles the above-named ALF to act in accordance with sub-rule (5) of rule 3 and sub-rule (4) of rule 5 which includes the following:

(1) To receive grants and benefits under any urban poverty alleviation program of the Government;

(2) To receive donations from any source;

(3) To open savings accounts in the bank and to operate the same;

(4) To mobilize savings among members of the group and intra-group lending on terms as may be decided by the group;

(5) To seek and obtain loans from the banks;

(6) To undertake income-generating activities that help the members of the CBO to emerge out of poverty;

(7) To lend and borrow within the group according to the norms adopted.

(Signature and Seal of the issuing authority)

FORM 2(3)
See rule 6(4)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No.CLF/ Dated

(Name of the CLF)

(Address of the CLF)

This is to certify that in response to their application for registration, the above CLF has been registered as an City Level Federation under the Chhattisgarh Municipal (Urban Poverty Alleviation, Formation and Registration of Community Based Organizations) Rules, 2017.

This registration entitles the above-named CLF to act in accordance with sub-rule (5) of rule 3 and sub-rule (4) of rule 6 which includes the following:

(1) to receive grants and benefits under any urban poverty alleviation program of the Government;

(2) to receive donations from any source;

(3) to open savings accounts in the bank and to operate the same;

(4) to mobilize savings among members of the group and intra-group lending on terms as may be decided by the group;

(5) to seek and obtain loans from the banks;

(6) to undertake income-generating activities that help the members of the CBO to emerge out of poverty;

(7) to lend and borrow within the group according to the norms adopted.

(Signature and Seal of the issuing authority)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.